न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 177 / 2025

उनवानी :— महेन्द्र व अन्य बनाम अशरफी व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम	
19.02.2025	आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ शीघ्र सुनवाई एवं प्रकरण को NOT PRESS में खारिज कराने के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। सायलान अधिवक्ता उपस्थित आये। वकील सायलान ने अवगत कराया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। मुकदमा को NOT PRESS में खारिज कराना चाहते हैं। इसलिए मुकदमा नं. 177 / 2025 उनवानी महेन्द्र व अन्य बनाम अशरफी व अन्य प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को NOT PRESS में खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 20.08.2025 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हेमराज गुर्जर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	